फर्द अहकाम

न्यायालय — उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

विशेष — गंगाबक्स — बनाम — हीरालाल वगैरह

संख्या / वर्ष 13/2019 : दावा / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21.8.19	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए दावे में प्रस्तुत तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया। अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है, विस्तृत आदेश अलग से लिखकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	

विशेष विवरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 13/2019

उनवान

गंगाबक्स जन्म से पुत्र लूणाराम दत्तक पुत्र कालूराम अहिर निवासी ढाणी डूंगरसीवाला, ग्राम उदावाला हाल निवासी ढाणी कांकरिया की ग्राम घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. हीरालाल
2. खेमचन्द

} पुत्रान लूणाराम अहिर निवासी ढाणी डूंगरसीवाला, ग्राम उदावाला हाल निवासी ढाणी कांकरिया की ग्राम घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

} पुत्रान ठण्डूराम अहिर निवासी ढाणी पिचोलिया ग्राम उदावाला, हाल निवासी ढाणी बीड़ ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

निर्णय दिनांकः 21.8.2019

दावा संक्षेप में यह है कि आराजी खसरा नम्बर 3328 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा साबिक ग्राम उदावाला तथा उदावाला का साबिक ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। राज. सरकार द्वारा ग्राम मनोहरपुर में से ग्राम उदावाला नया राजस्व ग्राम बनाया गया तथा ग्राम उदावाला में से नया ग्राम कल्याणपुरा बनाया गया तथा तहसील बैराठ बाद में नाम परिवर्तन कर विराटनगर में से नई तहसील शाहपुरा बनायी गई है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का निवास स्थान ढाणी डुंगरसीवाला ग्राम मनोहरपुर में थी जो मनोहरपुर में से उदावाला राजस्व ग्राम गठन बनाने के समय यह ढाणी ग्राम उदावाला में सम्मिलित कर दी गई जो अब भी ग्राम उदावाला में ही है तथा प्रतिवादी सं. 3 लगा0 5 की ढाणी पिचोलिया पहले राजस्व ग्राम मनोहरपुर से भी नया राजस्व ग्राम उदावाला बनाने के समय उदावाला में शामिल कर दी गयी जो अब भी ग्राम उदावाला में ही है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ढाणी डूंगरसीवाला मनोहरपुर ने अपने पूर्वजों के समय से निवास करते आ रहे थे जो अब सीमावर्ती ग्राम घासीपुरा की ढाणी कांकरिया में आकर बस गये है तथा यहां पर ही अवासीय मकान बना लिए है प्रतिवादी सं. 3 लगा0 5 अपने पूर्वजो के समय से ढाणी पिचोलिया मनोहरपुर ने बाद में बने ग्राम उदावाला में निवास करते थे जो अब सीमावर्ती ग्राम कल्याणपुरा में आकर बस गये है और यहां पर ही अपने आवासीय मकानात निवास स्थान बना लिये है। विवादित आराजी वर्तमान में ग्राम कल्याणपुरा में स्थित है।

उक्त विवादित आराजी का 1/2 भाग वादी सं. 1 तथा 1/2 भाग प्रतिवादी सं. 3 लगा0 5 के खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का परदादा हनुता था, हनुता के दो पुत्र चौखा व मून्ना थे। चौखा के एक पुत्र लूणा एवं मून्ना के एक पुत्र कालू था। लूणा के तीन पुत्र गंगाबक्स, हीरालाल व खेमचन्द थे तथा कालू अविवाहित रहने के कारण कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने से अपने भाई लूणा के पुत्र वादी गंगाबक्स को गोद ले लिया जो कालू के जीवनपर्यन्त कालू के साथ रहकर सेवा सुश्रुशा की, तथा कालू के देहान्त होने पर कालू के सभी इहलोक व देवलोक के क्रियाकर्म आदि कार्य कराये। वादी गंगाबक्स ही कालू का एकमात्र वारिस है। हनुता का सजरा खानदान निम्नानुसार है–

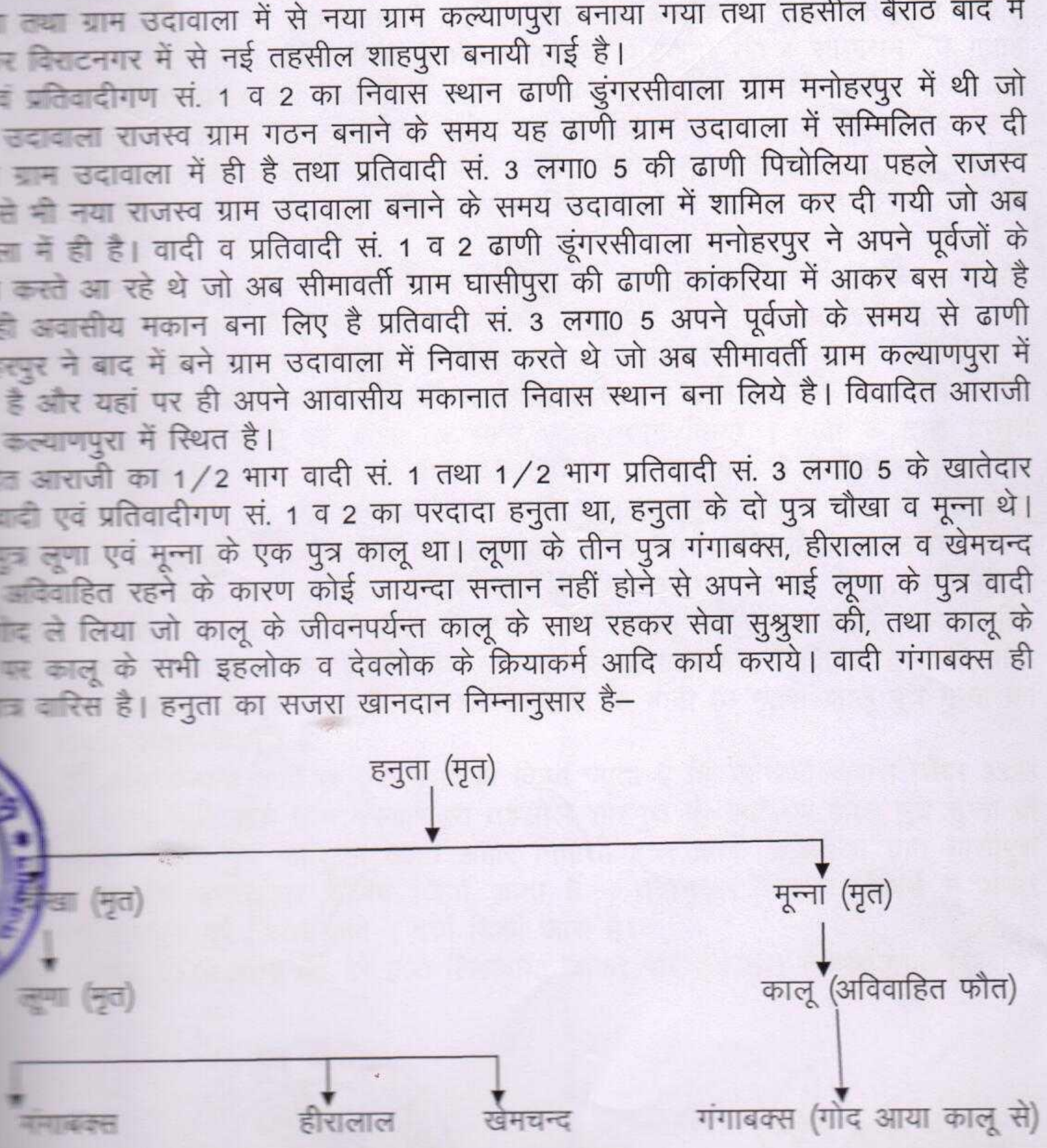

कालू पुत्र मुन्ना खसरा नम्बर 3328 रकबा 0.53 का हिस्सा 1/2 भाग का वादी गंगाबक्स मृतक कालू का एकमात्र वारिस दत्तक पुत्र होने से एक मात्र खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। यह है कि वादी को अधिकार है कि आराजी खसरा नम्बर 3328 रकबा 0.53 है कि हिस्से 1/2 भाग के अपने खातेदारी अधिकारों की अपने पक्ष में घोषणा करावें एवं तदानुसार उसका राजस्व रिकार्ड में अमल करावें।

प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की लूणा की पुस्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम घासीपुरा में ढाणी कांकरियां पर स्थित है जो लूणा से उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त होकर, खातेदारी उनके नाम दर्ज हो गयी है। वादी को हमेशा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को कहता रहा कि अधिकारों की घोषणा करा देवें जिस पर वे हमेशा हां करके टालमटोल करते रहे परन्तु अब दिनांक 15.01.2019 को वादी द्वारा दबाव डालकर कहनें पर वे लोग टालमटोल करते हुए इन्कार हो गये तथा वादी को धमकी देकर कहां कि तुम जानों सो करो हमें क्या करना है आप अपने आप करवा लो। इससे प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मन में दुर्भावना पैदा होना महसूस कद दावा श्रीमान के समक्ष पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा दिनांक 15.01.2019 को इन्कार होनें से वाद कारण पैदा होकर दावा अन्दर मियाद है। प्रतिवादी सं. 3 लगा0 5 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया अपितु सह काश्तकार खातेदार होनें से कानूनी एतराज पूर्ति के लिए पक्षकार दावा बनाया है।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश करने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया । प्रतिवादीगण ने दिनांक 2.8.2019 को जवाब दावा पेश कर जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3328 रकबा 0.53 है0 भूमि के 1/2 भाग को वादी गंगाबक्स को खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा भी पेश किया तथा राजीनामा में जाहिर किया कि वादी गंगाबक्स कालू का दत्तक पुत्र है तथा वादी ने ही कालू के देवलोक के कियाकर्म आदि कार्य किये है तथा वादी के नाम भूमि दर्ज की जाती है तो हमें कोई आपत्ति है ।

वादी ने स्वंय का शपथ पत्र पेश कर जाहिर किया कि मृतक कालू ने अपने जीवन काल में ही वादी की जन्म देने वाली माता की सहमति से गोद लिया था तथा अब मै कालू के ही गोद हूँ तथा मृतक कालू की खातेदारी भूमि में उसके 1/2 हिस्से पर पुत्राधिकार में काबिज होकर काबिल काश्त करता चला आ रहा हूँ

वादी ने अपने शपथ पत्र. के अलावा प्रतिवादी सं 1 हीरालाल तथा प्रतिवादी सं0 4 सोनाराम व गवाह [illegible] तथा रामनारायण के शपथपत्र पेश करवाये । सभी ने अपने शपथ पत्र में यही जाहिर किया कि वादी गंगाबक्स मृतक कालू के दत्तक पिता के जीवन पर्यन्त रहकर सेवा की तथा कालू के देवलोक गमन पर कालू के सभी इहलोक व देवलोक के किया कर्म आदि कार्य कराये तथा वादी ही कालू का एकमात्र उत्तराधिकारी है तथा विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त व लगान जमा कराता आ रहा है।

मैनें वकील वादी की बहस सुनी। वकील वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर जाहिर किया कि विवादित आराजी जो की कालू पुत्र मुन्ना के नाम खातेदारी है तथा कालू ने अपने जीवनकाल में ही वादी को गोदपुत्र ले लिया था तथा वादी ही कालू के सभी इहलोक व देवलोक के किया कर्म आदि कार्य कराये जाने वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकार है।

मैनें पत्रावली का तथा वकील वादी की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया । वादी के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व प्रतिवादी के शपथ पत्र तथा गवाह के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि वादी जो कि प्रतिवादी 1 व 2 का भाई था तथा वादी अपने परदादा हनुता के पुत्र मुन्ना के पुत्र कालू के गोद जाकर उसके सभी इहलोक व देवलोक के किया कर्म आदि कार्य वादी के द्वारा कराया जाना प्रमाणित होता है चूंकि वादी के अन्ये भाई हीरालाल व खेमचन्द जो कि प्रश्नागत प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 व 2 है ने भी अपने राजीनामा तथा प्रस्तुत शपथ पत्र में वादी को ही कालू का उत्तराधिकारी होना जाहिर किया है तथा प्रतिवादी सं0 3 लगाा0 5 जो कि विवादित आराजी के सहकाश्तकार है जिनके द्वारा भी वादी को कालू का उत्तराधिकारी होना जाहिर किया है । इससे स्पष्ट है कि वादी ही मृतक कालू पुत्र मुन्ना का दत्तक पुत्र होने से उसका उत्तराधिकारी है

अतः दावा मुताबिक राजीनामा वादी के हक में डिकी किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 3328 रकबा 0.53 है0 हिस्सा 1/2 भूमि वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के खातेदार कालू पुत्र मुन्ना के स्थान पर वादी गंगाबक्स दत्तक पुत्र कालूराम जाति अहीर निवासी हाल ढाणी कांकरिया ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे । पर्चा डिकी जारी है।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 13/2019

उनवान

[illegible] जन्म से पुत्र लूणाराम दत्तक पुत्र कालूराम अहिर निवासी ढाणी डूंगरसीवाला, ग्राम उदावाला हाल [illegible] ढाणी कांकरिया की ग्राम घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

[illegible]
[illegible] } पुत्रान लूणाराम अहिर निवासी ढाणी डूंगरसीवाला, ग्राम उदावाला हाल निवासी ढाणी कांकरिया की ग्राम घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

[illegible]
[illegible]
[illegible] } पुत्रान ठण्डूराम अहिर निवासी ढाणी पिचोलिया ग्राम उदावाला, हाल निवासी ढाणी बीड़ ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा खातेदारी</u>

निर्णय दिनांक: 21.8.2019

अतः दावा मुताबिक राजीनामा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 3328 [illegible] है0 हिस्सा 1/2 भूमि वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के खातेदार कालू पुत्र मुन्ना के [illegible] पर वादी [illegible] दत्तक पुत्र कालूराम जाति अहीर निवासी हाल ढाणी कांकरिया ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल [illegible] हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे । पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

[illegible]

[illegible]		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
[illegible]		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
[illegible]		जोड़	